

पत्रांक-श्रम क० सं०-24/2018-390

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, बक्सर के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 02 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 290000/- (दो लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक एवं पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी /श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/वि.शक्तता का बीमा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० शिव नारायण ओझा, स्व० दूधनाथ ओझा, सामान्य	श्रीमती शकुन्तला देवी(पत्नी)	250/17. 07.2018	ग्रा०-छतुपुर, पो०-गोगौरा, था०-धनसोई, प्र०-राजपुर, बक्सर	5908805 7276	इलाहाबाद बैंक, ALLA0211620	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० रामदास राम, श्री राजवली राम, अनु० जाति	श्रीमती हीरामनी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-करंजुआ, पो०-इन्दौर, था०+प्र०-इटादी, बक्सर	2370000 1000621 33	PNB Kukurha, PUNB0237000	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राज मिल्नी के साथ हेल्पर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० घुघुनी राम, श्री बनारसी राम, अनु० जाति	श्रीमती मंतोरा देवी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-खलासी मुहल्ला, पो०+था०+प्र०+जि०-बक्सर	1797321 1007456	UCO BANK, BUXAR, UCBA0001797	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० उपेन्द्र यादव, स्व० दीनानाथ यादव, सामान्य	श्रीमती आशा देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-अरक, था०-कृष्णाब्रह्म, प्र०-चक्की, बक्सर	1012000 1001580 50	पंजाब नेशनल बैंक, चक्की, PUNB0101200	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि कार्य में खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० विनोद साह, श्री संत विलास साह, सामान्य	श्रीमती निर्मला देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-चिलहर, पो०-इंदौर, था०+प्र०-इटादी, बक्सर	5009759 8946	इलाहाबाद बैंक, इटादी, ALLA0210220	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, सब्जी बेचना एवं किराना दुकान चलाने का व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 290000/-

(दो लाख नब्बे हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-24/2018 के पृष्ठ-13/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-24/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-24/2018-390

पटना, दिनांक :- 21-8-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 290000/- (दो लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, बक्सर को उनके पत्रांक 250 दिनांक 17.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।